Forman (Mech), Forman (Bo.. Forman (Electrical)

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003-05

REGD. NO. D. L.-(N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 12] नई दिल्ली, मार्च 18—मार्च 24, 2018, शनिवार/फाल्गुन 27, 1939—चैत्र 3, 1940

No. 12] NEW DELHI, MARCH 18— MARCH 24, 2018, SATURDAY/PHALGUNA 27, 1939—CHAITRA 3, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2018

सा.का.नि. 84.–राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर [प्रयोगात्मक चीनी कारखाना (समूह-'ग' और समूह-'घ' पद)] भर्ती नियम 2004, जहां तक इनका संबंध फोरमैन (यांत्रिक), फोरमैन (विद्युत) और फोरमैन (बायलर) से है, का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में फोरमैन (यांत्रिक), फोरमैन (विद्युत) और फोरमैन (बायलर) (समूह 'ख' पद) की भर्ती की पद्धति का नियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर [प्रयोगात्मक चीनी कारखाना (समूह-'ख' पद)] भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. फोरमैन (यांत्रिकी)	01*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपये)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा/ विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित);

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)

प्रोन्नति:

(i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19,900-63,200 रुपये) में टर्नर अथवा वैल्डर या फाइन मैकेनिक, जिसने ग्रेड में अठारह वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण 1: इन भर्ती नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक ग्रेड पद में भर्ती हुए कार्मिकों की प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा सोलह वर्ष बनी रहेगी।

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित ग्रेड अथवा पद में अधिकारियों की स्व:स्थाने वरिष्ठता को सम्यक ध्यान रखते हुए अधिकारी के ग्रेड अथवा पद द्वारा पूर्णता की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।

टिप्पण 3: ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हकारी अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है तथा उनको प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों के संबंध मे भी विचार किया जाएगा, बशर्ते उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, पूरी कर ली है तथा उन्होंने अपने कनिष्ठ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सैक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्ध-सरकारी या स्वायत्तशासी निकाय या सांविधिक संगठनों के अधिकारी

(क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण किए हों; अथवा

(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300 रुपये) में अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर ग्रेड में नियुक्ति के बाद छ: वर्ष की सेवा की हो; अथवा

(iii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25,500-81,100 रुपये) में अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर ग्रेड में नियुक्ति के बाद दस वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों:

(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा बोर्ड से यांत्रिक इंजीनियरी में तीन वर्षीय डिप्लोमा।

(ii) सरकारी संगठन के कारखाने अथवा कार्यशाला में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
I. समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:- (i) किसी शाखा में आचार्य, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – अध्यक्ष (ii) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – सदस्य	लागू नहीं होता

(iii) सहायक आचार्य (शर्करा इंजीनियरी) अथवा वरिष्ठ इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य **II. समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति:-** (i) किसी शाखा में आचार्य, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – अध्यक्ष (ii) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – सदस्य (iii) सहायक आचार्य (शर्करा इंजीनियरी) अथवा वरिष्ठ इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)
2. फोरमैन (विद्युत)	01*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपये)

(5)	(6)	(7)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

(11)
प्रोन्नति: (i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25,500-81,100 रुपये) में इलेक्ट्रानिक मैकेनिक, जिसने ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19,900 – 63,200 रुपये) में इलेक्ट्रिशियन, जिसने इस ग्रेड में 18 वर्ष की नियमित सेवा की हो; **टिप्पण 1:** इन भर्ती नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक ग्रेड पद में भर्ती हुए कार्मिकों की प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा सोलह वर्ष बनी रहेगी। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित ग्रेड अथवा पद में अधिकारियों की स्व:स्थाने वरिष्ठता को विधिवत ध्यान रखते हुए अधिकारी के ग्रेड अथवा पद द्वारा पूर्णता की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी। **टिप्पण 3:** ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हकारी अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है तथा उनको प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों के संबंध मे भी विचार किया जाएगा, बशर्ते उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, पूरी कर ली है तथा उन्होंने अपने कनिष्ठ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही

पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्ध-सरकारी अथवा स्वायत्तशासी निकाय या कानूनी संगठनों के अधिकारी:

(क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण किए हों; अथवा

(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300 रुपये) में अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर ग्रेड में नियुक्ति के बाद छः वर्ष की सेवा की हो; अथवा

(iii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25,500-81,100 रुपये) में अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर ग्रेड में नियुक्ति के बाद दस वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:

(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा बोर्ड से विद्युत इंजीनियरी में तीन वर्षीय डिप्लोमा।

(ii) सरकारी संगठन के कारखाने अथवा कार्यशाला में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
I. समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:- (1) किसी शाखा में आचार्य, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – अध्यक्ष (2) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – सदस्य (3) सहायक आचार्य (शर्करा इंजीनियरी) अथवा वरिष्ठ इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य **II. समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति:-** (1) किसी शाखा में आचार्य, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – अध्यक्ष (2) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – सदस्य (3) सहायक आचार्य (शर्करा इंजीनियरी) अथवा वरिष्ठ इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)
3. फोरमैन (बायलर)	01*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपये)

(5)	(6)	(7)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)

(11)

प्रोन्नति:

वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19,900 – 63,200 रुपये) में फिटर 'सी' अथवा मोल्डर, जिसने इस ग्रेड में 18 वर्ष की नियमित सेवा की हो;

टिप्पण 1: इन भर्ती नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक ग्रेड पद में भर्ती हुए कार्मिकों की प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा सोलह वर्ष बनी रहेगी।

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित ग्रेड अथवा पद में अधिकारियों की स्व:स्थाने वरिष्ठता को सम्यक ध्यान रखते हुए अधिकारी के ग्रेड अथवा पद द्वारा पूर्णता की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।

टिप्पण 3: ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हकारी अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है तथा उनको प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों के संबंध मे भी विचार किया जाएगा, बशर्ते उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, पूरी कर ली है तथा उन्होंने अपने कनिष्ठ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्ध-सरकारी अथवा स्वायत्तशासी निकाय या कानूनी संगठनों के अधिकारी;

(क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण किए हों; अथवा

(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300 रुपये) में अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर ग्रेड में नियुक्ति के बाद छ: वर्ष की सेवा की हो; अथवा

(iii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25,500-81,100 रुपये) में अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर ग्रेड में नियुक्ति के बाद दस वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:

(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा बोर्ड से यांत्रिकी इंजीनियरी में तीन वर्षीय डिप्लोमा।

(ii) सरकारी संगठन के कारखाने अथवा कार्यशाला में बायलर संयंत्र चलाने में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
I. समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:- (1) किसी शाखा में आचार्य, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – अध्यक्ष (2) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – सदस्य (3) सहायक आचार्य (शर्करा इंजीनियरी) अथवा वरिष्ठ इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य **II. समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति:-** (1) किसी शाखा में आचार्य, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – अध्यक्ष (2) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – सदस्य (3) सहायक आचार्य (शर्करा इंजीनिंयरी) अथवा वरिष्ठ इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-12018/20/2016-एस.ए.]

राजीव महेन्द्रू, उप सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

New Delhi, the 14th March, 2018

G.S.R. 84.–In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur [Experimental Sugar Factory (Group 'C' and 'D' Posts)] Recruitment Rules, 2004, in so far as they relate to the posts of Foreman (Mechanical), Foreman (Electrical) and Foreman (Boiler), except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Foreman (Mechanical), Foreman (Electrical) and Foreman (Boiler) (Group 'B' Posts) in the National Sugar Institute, Kanpur, under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur [Experimental Sugar Factory (Group 'B'posts)] Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.** – The number of posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.** – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Powers to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Foreman (Mechanical)	01* (2018) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs.35,400-1,12,400).

Whether selection post or non selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct Recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation (Including Short-term Contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, the grade from which promotion or deputation/ absorption is to be made.
(11)
Promotion: (i) Turner or Welder or Fine Mechanic in level-2 (Rs.19,900-63,200) in the Pay Matrix with eighteen years' regular service rendered in the grade. **Note 1:** The qualifying service for promotion of the incumbents in the feeder grade post as on the date of notification of these recruitment rules shall continue to be sixteen years. **Note 2:** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers' grade or post with due regard to the inter-se seniority of officers in respective grades or posts. **Note 3:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed

their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (Including short-term contract):

Officers under Central Government or State Governments or Union Territory administrations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutions or semi Government or autonomous bodies or statutory organisations:

(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 5 (Rs.29,200-92,300) in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 4 (Rs.25,500-81,100) in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience:

(i) three years Diploma in Mechanical Engineering from a recognised Institute or Board.

(ii) two years' experience in a factory or workshop of a Government organisation.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted.
(12)	(13)
I. Group 'B' Departmental Promotion Committee:- (i) Professor of any discipline, National Sugar Institute, Kanpur -Chairman (ii) Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Member (iii) Assistant Professor (Sugar Engineering) or Senior Instrument Engineer, National Sugar Institute, Kanpur - Member **II. Group 'B' Departmental Confirmation Committee:** (i) Professor of any discipline, National Sugar Institute, Kanpur -Chairman (ii) Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Member (iii) Assistant Professor (Sugar Engineering) or Senior Instrument Engineer, National Sugar Institute, Kanpur - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Foreman (Electrical)	01* (2018) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs.35,400-1,12,400).

(5)	(6)	(7)
Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years	By promotion failing which by deputation (Including Short-term Contract).

(11)

Promotion:

(i) Electronic Mechanic in level 4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix with ten years' regular service rendered in the grade; and

(ii) Electrician in level 2 (Rs.19,900-63,200) in pay matrix with eighteen years' regular service rendered in the grade;

Note 1: The qualifying service for promotion of the incumbents in the feeder grade post of electrician as on the date of notification of these recruitment rules shall continue to be sixteen years.

Note 2: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers' grade or post with due regard to the inter-se seniority of officers in respective grades or posts.

Note 3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (Including short-term contract):

Officers under Central Government or State Governments or Union Territory administrations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutions or semi Government or autonomous bodies or statutory organisations:

(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 5 (Rs.29,200-92,300) in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 4 (Rs. 25,500-81,100) in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience:

(i) three years Diploma in Electrical Engineering from a recognised Institute or Board.

(ii) two years' experience in a factory or workshop of a Government organisation.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation (including short- term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
I. Group 'B' Departmental Promotion Committee :- (i) Professor of any discipline, National Sugar Institute, Kanpur -Chairman (ii) Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Member (iii) Assistant Professor (Sugar Engineering) or Senior Instrument Engineer, National Sugar Institute, Kanpur - Member **II. Group 'B' Departmental Confirmation Committee:** (i) Professor of any discipline, National Sugar Institute, Kanpur -Chairman (ii) Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Member (iii) Assistant Professor (Sugar Engineering) or Senior Instrument Engineer, National Sugar Institute, Kanpur - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Foreman (Boiler)	01* (2018) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs.35,400-1,12,400).

(5)	(6)	(7)
Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years	By promotion failing which by deputation (Including Short-term Contract).

(11)
Promotion: Fitter 'C' or Moulder in level 2 (Rs.19,900-63,200) in pay matrix with eighteen years' regular service rendered in the grade. **Note 1** : The qualifying service for promotion for the incumbents in the feeder grade post as on the date of notification of these recruitment rules shall continue to be sixteen years. **Note 2** : The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers' grade or post with due regard to the inter-se seniority of officers in respective grades or posts.

Note 3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (Including short-term contract):

Officers under Central Government or State Governments or Union Territory administrations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutions or semi Government or autonomous bodies or statutory organisations:

(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-5 (Rs.29,200-92,300) in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience:

(i) three years Diploma in Mechanical Engineering from a recognised Institute or Board.

(ii) two years' experience in operating boiler plant in a factory or workshop of a Government organisation.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short- term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)			(13)
I.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee :-**		Not applicable
(i)	Professor of any discipline, National Sugar Institute, Kanpur	-Chairman	
(ii)	Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur	- Member	
(iii)	Assistant Professor (Sugar Engineering) or Senior Instrument Engineer, National Sugar Institute, Kanpur	- Member	
II.	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee:**		
(i)	Professor of any discipline, National Sugar Institute, Kanpur	-Chairman	
(ii)	Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur	- Member	
(iii)	Assistant Professor (Sugar Engineering) or Senior Instrument Engineer, National Sugar Institute, Kanpur	- Member	

[F. No. A-12018/20/2016-SA]

RAJIV MAHENDRU, Dy. Secy.